राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एजूकेशन एण्ड मैनेजमेंट (राइसेम), जयपुर

विस्तृत नोट

राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एजूकेशन एण्ड मैनेजमेंट (राइसेम) का गठन राजस्थान सोसायटिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के तहत वर्ष 1990 में सहकारिता क्षेत्र में सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के लिए एक उपयोगी एवं दृढ़ संकल्पित प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्वीकरण से उत्पन्न हुई नई आर्थिक नीतियों एवं उदारीकरण से संबंधित चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में सहकारिता से संबंधित सरकारी एवं गैर सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें नवीन चुनौतियों के अनुरूप सहकारिता की महत्ता/प्रासंगिकता को बनाये रखने हेतु प्रशिक्षित करने के साथ ही सहकारिता आन्दोलन की उत्तरोत्तर प्रगति की दृष्टि से व्यावसायिक प्रबन्धक एवं दक्ष कार्मिक वर्ग को तैयार करना है और राइसेम साल दर साल इन उद्देश्यों की पूर्ति में प्रगति कर रहा है। वर्तमान में राज्य जिला एवं खण्डीय स्तर की 77 सहकारी संस्थायें राइसेम की सदस्य है। राइसेम में सहकारी विभाग एवं सहकारी संस्थाओं के अधिकारीगण/कर्मचारीगण तथा निर्वाचित पदाधिकारीगण को सहकारिता से संबंधित समस्त विषयों एवं सामान्य प्रबन्धन के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। राइसेम के माध्यम से गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण प्रदान के फलस्वरूप आज यह संस्थान न केवल सहकारिता क्षेत्र में बल्कि राज्य के अन्य संस्थान द्वारा अन्य राजकीय विभागों, निगमों, निकायों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को उनसे संबंधित विषयों एवं सामान्य प्रबन्धन पर भी समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। गत वर्षों में कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देश पर राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं में चयनित अधिकारियों के आधारभूत प्रशिक्षण कार्य भी एच.सी.एम. रीपा के सहयोगी संस्था के रूप में किया जा रहा है। राइसेम द्वारा मानव संसाधन विकास के संबंध में प्रशिक्षण, शोध एवं परामर्श भी दिया जाता रहा है। साथ ही आज विभिन्न जिलों की ICDP के प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का काम भी इस संस्थान दिया गया है तथा पूर्व में भी राइसेम द्वारा ICDP की योजनाओं की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया गया है।

संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों को बेहतर सुविधाऐं उपलब्ध करवाने हेतु आधुनिक तकनिकों यथा ऑडियो–विज्युअल, एलसीडी प्रोजेक्टर, ओएचपी आदि का प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ–साथ योगा, आर्ट ऑफ लिविंग आदि की क्लासेज से भी लाभान्वित किया जाता है। साथ ही एजुकेशनल एवं मोटिवेशनल फिल्मों के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों के दृष्टिकोण को व्यापक करने का प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं प्रशिक्षणार्थियों को नवीन तकनीकों में पारंगत किया जा रहा है।

प्रशिक्षणार्थियों की सुविधा हेतु राइसेम में पुस्तकों का एक समृद्ध पुस्तकालय, कम्प्यूटरों से सुसज्जित वातानुकूलित लैब, 44 ए.सी. कमरे व एक 24 बैड की डोरमेट्री वाला छात्रावास भी उपलब्ध है, जिसमें हाल ही में प्रशिक्षणार्थियों के लिए जिम्नेजियम की भी स्थापना की गई है।

राइसेम की गतिविधियां 4 चैनलों के माध्यम से सम्पादित की जाती है :–

1. **केडिट चैनल प्रशिक्षण कार्यक्रम**
2. **सामान्य चैनल प्रशिक्षण कार्यक्रम**
3. **शिक्षा एवं प्रशिक्षण निधि के अन्तर्गत कार्यक्रम**
4. **आईसीडीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम**

राइसेम द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न निगमों, बोर्डो, संस्थाओं आदि के लिए उनकी आवश्यकतानुरूप विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते है जिनका प्रशिक्षण शुल्क संबंधित संस्थाओं से लिया जाता है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित राज्य/अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों के लिये आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम ओ.टी.एस. द्वारा आयेाजित किये जाते है। गत दो वर्षों में ओटीएस द्वारा चार आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम राइसेम को दिए **जिन्हे भी राइसेम** ने सफलता पूर्वक आयोजित किये हैं।उक्त के अतिरिक्त राज्य सहकारी सेवा एवं राज्य वाणिज्य कर सेवा के लिये विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी राइसेम द्वारा आयेाजित किये जा रहे है।

वर्ष 2015–16 में राइसेम द्वारा राज्य सेवा का 105 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया गया। इसी क्रम में राज्य सहकारी सेवा के एक माह का संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया गया।

राइसेम द्वारा गत वर्षो में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम

राइसेम द्वारा सामान्य बैंकिंग, मानव संसाधन विकास, व्यक्तित्व विकास, परियोजना प्रबन्धन, आजीविका स्वयं सहायता समूह, कम्प्यूटर अवैयरनेस प्रोग्राम, सहकारी कानून, डेयरी विकास, कार्यालय प्रबन्धन, तनाव प्रबन्धन, व्यवसाय विविधिकरण एवं मार्केटिंग प्रबन्धन, महिला सहकारी समितियॉ, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, आईसीडीपी कार्यक्रम, गुणवत्ता सुधार एवं व्यवसाय वृद्धि आदि विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किये जाते है ।

राइसेम द्वारा विगत पांच वर्षों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	सेमीनार/ वर्कशाप	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
2011–2012	–	110	3047
2012–2013	–	68	1521
2013–2014	–	111	2725
2014–2015 (मार्च 2015 तक)	–	119	3477
2015–2016 (मार्च 2016 तक)	–	86	3750
2016–2017 (मार्च 2017 तक)	–	105	3764
2017–2018 (अप्रैल,17 से नवम्बर, 17 तक)	–	51	1370

राइसेम द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सक्षम बनाने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समितियों पर आर्थिक प्रभाव, पंजाब व हरियाणा की विपणन समितियों पर अध्ययन के साथ–साथ केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की ऋण प्रक्रिया के सरलीकरण पर अध्ययन, फसली ऋण वितरण के अन्तर्गत प्रचलित गंगानगर पद्धति पर अध्ययन, नकद ऋण भुगतान योजना का मूल्यांकन, एकमुश्त समझौता योजना, ओटीएस प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आंकलन आदि अध्ययन कार्य सम्पादित किये गये है।

गत वर्षो की अन्य उपलब्धियाँ एवं गतिविधियॉ

- **वर्ष 2008–09 में सभी राज्यों के सहकारिता मंत्रियों का सम्मेलन** राइसेम द्वारा आयोजित किया गया जिसमें सहकारिता को सुदृढ़ करने हेतु निर्णय लिया गया।
- **वर्ष 2012–13 में 06 जुलाई, 2013 को 91वें अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस को एक सम्मेलन का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में बिडला ऑडिटोरियम, जयपुर में किया गया जिसमें लगभग 1100 किसानों एवं सहकारिता कर्मियों ने भाग लिया।**
- **वर्ष 2009 में इन्टरनेशनल कापरेटिव एलायंस के साथ सहयोग कर 'ट्यूरिज्म थ्रो कापरेटिव' पर अंतराष्ट्रीय** स्तर का दो दिवसीय सेमीनार का आयोजन किया गया जिसमें 11 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- सहकारी विभाग के निर्देशानुसार जयपुर जिले की विभिन्न समितियों से सम्पर्क कर 2000 से अधिक स्वयं सहायता समूह का गठन करवाने में राइसेम की अहम भूमिका रही है जिन्हें अब जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा वित्त पोषण कर आर्थिक रूप से सम्बल प्रदान किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (नियाम), जयपुर ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण भण्डारण योजना के अन्तर्गत कृषकों को प्रशिक्षण हेतु राइसेम को नोडल एजेन्सी बनाया है। इसके अन्तर्गत गत वर्ष लगभग 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम किसानों हेतु विभिन्न जिलों में लगाये गये ताकि वे ग्रामीण क्षेत्र में अपनी एवं आस–पडौस के कृषकों की उपज के भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण करवा सकें। इस वर्ष भी इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है।
- सहकारी विभाग ने राइसेम को सहकारी बैंकों में भर्ती हेतु नोडल एजेन्सी नियुक्त किया हुआ है। वर्ष वर्ष 2014–15 के दौरान संस्था ने नोडल एजेन्सी के रूप में निम्नांकित बैंकों के लिए विभिन्न पदों के चयन हेतु सीधी भर्ती परीक्षा का कार्य किया गया ।

वर्ष 2014–15

बैंक का नाम	वरिष्ठ मैनेजर	कम्पयूटर प्रोग्रमर	बैकिंग मैनेजर	बैकिंग सहायक	कुल
शीर्ष एवं विभिन्न केन्द्रीय सहकारी बैंक	**6**	**17**	**118**	**472**	**613**

प्रशिक्षण संस्थान की भावी योजनाऐं :–

1. वर्तमान में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सकारात्मक परिवर्तन एवं विविधिकरण हेतु राइसेम प्रयासरत है, जिसके अन्तर्गत प्रैक्टिकल ट्रैनिंग करवाया जाना, केस स्टडी आदि के माध्यम से प्रशिक्षण शामिल हैं।
2. राइसेम द्वारा जिला स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभिन्न सेक्टर की सोसायटियों को सफल कार्य व्यवहार एवं व्यवसाय के आधार पर चिन्हित किया जायेगा तथा उनकी प्रगति यात्रा के अनुभव को उन्हीं के व्यवस्थापकों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के साथ सांझा करवाया जायेगा। जिसके अनुभवों से वे लाभान्वित होंगे।

3. ट्रेनिंग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर यथा–पैक्स, अन्य प्राथमिक सोसायटीज, सीसीबी, पीएलडी व अन्य के स्तर पर टीएनए करवाया जावेगा कि वे कौन–कौनसे ऐसे क्षेत्र है जिसमें वे प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। टीएनए के आधार पर ट्रेनिंग मोड्यूल बनाया जाकर आगामी वर्ष में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उनकी क्रियान्विती की जावेगी।

4. भविष्य में राइसेम में टी.एन.ए अन्तर्गत विभिन्न सैक्टर्स की अपैक्स लेवल के इन्सटिट्यूट्स के मुख्य कार्यकारी को पत्र लिखा जाकर विभिन्न लक्ष्य समूह नीड बेस्ड ट्रेनिंग मोड्यूल तैयार करवाये जाने के प्रयास संस्था द्वारा किये जा रहे हैं।

5. राइसेम द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के लिए चिन्हित की गई मोडल सोसायटियों के भ्रमण की योजना है, जिससे परिस्थिति व परिवेश के अनुसार कार्य व्यापार का प्रशिक्षण उन्हें लाभान्वित करे।